नियमावली-15

सूचना प्राप्त करने हेत् नागरिकों के लिए उपलब्ध स्विधाओं के विवरण

16.1 सूचनाओं के प्रसार हेतु विभाग द्वारा अपनाए गए साधन, तरीके अथवा सुविधाएँ जैसे

- कार्यालय, प्स्तकालय
- जन प्राधिकारी की वेबसाइट

सूचना कैसे प्राप्त करे?

लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जन सूचना अधिकारी से अनुरोध किया जाए।

सूचना प्राप्त करने की लागत क्या है?

खंड-7 के उपखंड (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए 10 रुपये का आवेदन शुल्क समुचित रसीद के साथ नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा इंडियन पोस्टल आर्डर के माध्यम से हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को देय हो; के साथ निम्नलिखित दरें लागू होंगी:-

- क) 2 रुपये प्रति पृष्ठ (ए-4 पेपर में) तैयार करने अथवा प्रतिलिपि करने पर
- ख) बड़े आकार के पेपर की प्रति का वास्तविक खर्च या लागत मूल्य के अन्सार
- ग) नम्नों या मॉडलों की वास्तविक लागत या मूल्य
- घ) अभिलेखों के निरीक्षण पर पहले घंटे कोई शुल्क नहीं और उसके बाद में 5 रुपये प्रति 15 मिनट (अथवा उसके भाग के अनुसार).

खंड-7 के उपखंड (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए 10 रुपये का आवेदन शुल्क समुचित रसीद के साथ नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा इंडियन पोस्टल आर्डर के माध्यम से हिरयाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को देय हो; के साथ निम्नलिखित दरें लागू होंगी:-

- क) कॉम्पेक्ट डिस्क (सीडी) में सूचना देने पर 50रुपये प्रति सीडी
- ख) मुद्रित रूप में सूचना प्रदान करने पर प्रकाशन के निर्धारित मूल्य के अनुसार या 2 रुपये प्रति पृष्ठ प्रकाशन से प्रतिलिपि लेने पर